प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) चेन्नै का कार्यालय
"लेखापरीक्षा भवन", 361, अण्णा सालै, तेनामपेट, चेन्नै - 600 018

परिपत्र सं. 14

सं.प्रनिलेप(के)/प्रशा./यूनिट-I/11-04/2021-22/149 दि.04.01.2022

विषय- कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय-पदधारियों के उपस्थिति –के संबंध में।

****

विशेषतः हमारे कार्यालय के पदधारियों के बीच कोविड -19 के मामलों में तेजी से वृद्धि एवं दिनांक 03.01.22 को कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए निवारक उपाय के तहत जारी डी.ओ.पी.टी का.ज्ञा. के प्रकाश में भी निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं :

1. चेन्नै मुख्य कार्यालय में सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी/ पर्यवेक्षक के स्तर से नीचे के सभी पदधारी सभी वैकल्पिक कार्य दिवसों पर कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। दि. 05.01.2022 से अगले आदेश तक समूह अधिकारी के अनुमोदन से रोस्टर तैयार करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जाये कि कम से कम 50% अधिकारी एवं पदधारी प्रत्येक वैकल्पिक कार्य दिवस पर कार्यालय में उपस्थित रहे। जिन अधिकारी/ पदधारी को विशेष दिन कार्यालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है वे "घर से कार्य करेंगे" एवं सदा संचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों एवं टेलीफोन पर उपलब्ध रहेंगे।

2. ऑडिट पार्टी के सदस्य संबंधित समूह अधिकारियों के निर्देशों के आधार पर कार्यालय में उपस्थित होंगे।

3. बैठकें, जहाँ तक संभव हो, विडियो-कॉन्फ्रेंसिंग पर आयोजित की जायेगी एवं आगंतुकों के साथ व्यक्तिगत बैठकें जब तक जन हित में आत्यंतिक रूप से आवश्यक न हो, वर्जित की जानी है।

4. विकलांग एवं गर्भवती महिला कर्मचारी को कार्यालय में उपस्थित होने की छूट दी जाती है एवं उन्हें घर से कार्य करना आवश्यक है।

5. अधिकारी एवं पदधारी (आउटसोर्स पदधारी सहित) जिनके परिवार के सदस्य, एक ही घर में रहने वाले निकट के रिश्तेदार कोविड -19 के लिए पॉजीटिव पाए गए है , अपने नियंत्रण अधिकारियों को ऐसी जानकारी शीघ्र प्रकट करेंगे।

6. सभी पदधारियों को कार्यालय में उपस्थित होने के दौरान केन्द्र सरकार, तमिलनाडु राज्य सरकार एवं मुख्यालय द्वारा कोविड 19 प्रबंधन के संबंध में जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करेंगे जिनमें हर समय मास्क / फेसकवर पहनना अनिवार्य है, सामाजिक जनसमूहों से बचना, आरोग्य सेतु मोबाईल एप्लिकेशन का प्रयोग करना, सभी परिस्थिति में सामाजिक दूरी बरकरार रखना, नियमित अंतराल पर हैंड सैनिटाईजर का उचित प्रयोग करना आदि शामिल है। सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन के बिना अधिकारी / पदधारी को स्टेशन नहीं छोडना चाहिए।

7. नियंत्रित क्षेत्र में रहने वाले सभी अधिकारी/ पदधारी को नियंत्रित क्षेत्र के वि-अधिसूचित होने तक कार्यालय में आने से छुट दी जायेगी।

8. उपरोक्त व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी। रोस्टर की सॉफ्टकॉपी सूचनार्थ हेतु प्रशासन को भेजी जा सकती है।

(प्रनिलेप(के) के दिनांक 04.01.2022 के आदेशानुसार)

हस्ता/-04.01.2022

निदेशक/प्रशासन

प्रति:

अंग्रेजी रूपांतरण के अनुसार